भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
रक्षा उत्पादन विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3223
05 अगस्त, 2022 को उत्तर के लिए

तेजस लड़ाकू विमान

3223. श्रीमती क्रीन ओझा :
श्री शंकर लालवानी :
डॉ. भारतीबेन डी. श्याल :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलेशिया ने भारत से तेजस लड़ाकू विमान खरीदने में रूचि दिखाई है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन अन्य देशों से ऐसे प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और
(ग) रक्षा उपकरणों के मामले में आत्मनिर्भर बनने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उत्तर
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट)

(क) : जी, हां। रक्षा मंत्रालय (एमओडी) के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के एक रक्षा उपक्रम, हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल), ने एलसीए वर्ग के विमानों के लिए रॉयल मलेशियन एयर फोर्स (आरएमएएफ), मलेशिया से फरवरी, 2019 में प्राप्त सूचनार्थ अनुरोध (आरएफआई) का उत्तर दिया था।

(ख) : उसके बाद, एचएएल ने अक्तूबर, 2021 में 18 फाइटर लीड इन ट्रेनर- लाइट कॉम्बैट एयरक्राप्ट (एफएलआईटी-एलसीए) के लिए आरएमएएफ, मलेशिया द्वारा जारी निविदा के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) का उत्तर दिया था और एचएएल ने एलसीए तेजस दो सीटों वाले वैरिएंट की पेशकश की थी। एलसीए विमान में रुचि दिखाने वाले अन्य देश: अर्जेन्टिना; आस्ट्रेलिया; मिस्र; यू.एस.ए; इंडोनेशिया और फिलिपींस हैं।

(ग) : सरकार ने देश में रक्षा उपस्करों के स्वदेशी डिजाइन, विकास एवं विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए विगत कुछ वर्षों में कई पहलें की हैं और सुधार किए हैं, जिससे इनके उत्पादन में विस्तार हुआ है। इन पहलों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

(1) रक्षा अर्जन प्रक्रिया (डीएपी)-2020 के अंतर्गत घरेलू स्रोतों से पूंजीगत मदों की अधिप्राप्ति को प्राथमिकता देना।

(2) उद्योग द्वारा संचालित डिजाइन एवं विकास के लिए मार्च, 2022 में 18 प्रमुख रक्षा प्लेटफार्मों की घोषणा।

(3) सेनाओं की कुल 310 मदों की तीन 'सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियों' और सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों (डीपीएसयू) की कुल 2958 मदों की दो 'सकारात्म स्वदेशीकरण सूचियों' की अधिसूचना, जिसके लिए उनके सामने दर्शायी गई समय-सीमा के बाद इन मदों के आयात पर प्रतिबंध होगा।

(4) लंबी वैधता अवधि के साथ औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रक्रिया का सरलीकरण।

(5) स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 74 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति देकर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति का उदारीकरण।

(6) मेक प्रक्रिया का सरलीकरण।

(7) स्टार्ट अप्स एवं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को शामिल करके रक्षा उत्कृष्टता हेतु नवाचार (आईडेक्स) योजना की शुरूआत।

(8) सार्वजनिक अधिप्राप्ति (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश-2017 का कार्यान्वयन।

(9) एमएसएमई सहित भारतीय उद्योग द्वारा स्वदेशीकरण की सुगमता के लिए सृजन नामक एक स्वदेशी पोर्टल की शुरूआत।

(10) उच्च गुणकों की सुविधा के साथ रक्षा विनिर्माण के लिए निवेश एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण आकर्षित करने पर बल देते हुए ऑफसेट नीति में सुधार।

(11) दो रक्षा औद्योगिक गलियारों, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में एक-एक, की स्थापना।

(12) देश में रक्षा प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देने के लिए चिन्हित 25 प्रतिशत रक्षा आरएंडडी बजट के साथ उद्योग, स्टार्ट अप्स एवं शैक्षिक संस्थाओं के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) खोलना; और

(13) घरेलू स्रोतों से अधिप्राप्ति के लिए सेना के आधुनिकीकरण के लिए रक्षा बजट के आवंटन में प्रगामी वृद्धि, इत्यादि।

****